# घोषणा पत्र /शपथ-पत्र

मैं .....(पुराना नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... (निवास स्थान)..... सत्यनिष्ठा से नीचे घोषित करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में भारत का नागरिक हूं।(क्योंकि भारत का राजपत्र केवल भारतीय नागरिकों के लिए है)।
2. मैं उपरोक्त निवास परिसर में रह रहा हूँ ।
3. मेरा पुराना नाम ..... है।
   (संबन्धित/सहायक दस्तावेज़:- 10वीं का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र)।
4. मेरा नया नाम .....है।
5. लिंग (पुरुष/महिला).....
   नाम और लिंग परिवर्तन के मामले में (केवल सार्वजनिक सूचना प्रारूप में)
   लिंग:- संचालन से पहले.....
   लिंग:- संचालन के बाद .....
   नोट:- भारत के राजपत्र भाग- IV में नाम के प्रकाशन को केवल अपने पूर्व नाम के परिवर्तन को आवासीय पते के साथ एवं पिछले तथा नए लिंग, डॉक्टर का विवरण (नाम, पदनाम), अस्पताल का विवरण, सर्जरी की तारीख, पुराना नाम, पुत्र/ पुत्री और सर्जरी के बाद नए नाम और पुत्र/पुत्री के सभी विवरण को दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र (सार्वजनिक सूचना प्रारूप में) विज्ञापन को प्रकाशित होने के बाद ही किया जाएगा (भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन को प्रकाशित करने से पहले उक्त आवेदक का मूल प्रमाण-पत्र:- 10वीं का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल से संबन्धित फोटोप्रतिलिपि इत्यादि की आवश्यकता होती है।
6. मैं जन्म से हिन्दू/मुस्लिम/बौद्ध/यहूदी/सिख.....हूँ।
7. अब मैं अपना नाम परिवर्तन .....(पुराना नाम).....से.....(नया नाम).....चाहता/चाहती हूँ।
   नोट:- (i) एक धर्म से दूसरे धर्म का नाम बदलने से पहले धर्म परिवर्तन किया जाना चाहिए। (धर्म और नाम परिवर्तन दोनों का विज्ञापन समाचार पत्र में एक ही विज्ञापन में दिया जाना चाहिए) ।
   (i) यदि कोई व्यक्ति अपने मौजूदा धर्म के रहते किसी अन्य धर्म के नाम/उपनाम को अपनाने के लिए आवेदन करता/करती है तो उसे इसकी घोषणा समाचार पत्र तथा घोषणा पत्र/शपथ पत्र एवं हमारे नाम परिवर्तन के नमूना प्रपत्र में भी यह बताना होगा कि वह अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है बल्कि वह केवल अपना नाम परिवर्तन कर रहा है। (इस प्रकार के नाम परिवर्तन के लिए उस वित्तीय वर्ष की मौजूदा फीस के साथ 250/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा)।
8. मैं सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी.....वर्ग से ताल्लुक रखता हूँ(एससी/एसटी/ओबीसी के के मामले में सरकारी निकाय द्वारा जारी संबन्धित/सहायक दस्तावेज़ )।
9. मेरे नए नाम में शीर्षक, उपनाम, आदि उसी वर्ग का है यानी मैं अपनी वर्ग नहीं बदल रहा हूँ ।
10. मेरा कथन सत्य एवं सही है।
11. घोषणा या शपथ पत्र की सामग्री मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। वह भविष्य में किसी भी गलत बयान और परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर :-
आवेदक का नाम :-
आवेदक का पता :-
आवेदक का मोबाइल संख्या :-
आवेदक का ई-मेल आई डी :-
दिनांक :-

**प्रकाशन नियंत्रक**

**DECLARATION/ UNDERTAKING REGARDING THE GENUINENESS OF DOCUMENTS AND PARTICULARS FURNISHED WITH THE APPLICATION FOR PUBLICATION IN THE GAZETTE OF INDIA**

I,..... .....S/o,W/o, D/o..... .....

R/o .....

Marital status ..... declare that:

1. The information and documents furnished by me in connection with my application for publication in the **Gazette of India** are genuine, true, complete and correct. I understand that furnishing any false, forged, fabricated, invalid or incorrect document or information may result in withholding or cancellation of the proposed/earlier Gazette publication and may also attract legal action under the applicable rules. I will be solely responsible for the genuineness, validity and correctness of the documents and particulars furnished by me.

2. If any document or particulars furnished by me to the Department at any stage are found to be false, forged, invalid, incorrect, or otherwise not in order, the processing or publication of my request may be withheld or cancelled, and the Department of Publication shall be at liberty to refer the matter for appropriate legal action against me.

3. I hereby give my consent for the verification of the documents submitted and the particulars furnished by me from the concerned/respective issuing authority or any other competent authority, as may be deemed necessary by the Department of Publication.

4. I further agree that my case may be withheld until receipt of the verification report from the concerned/respective issuing authority and may be forwarded for publication in the Gazette of India only after receipt of the verification reports from the concerned verifying authorities.

Signature:-
Name:-

Fathers/Spouse Name:-

Present Address:-

Mobile No:-
Email id:-

Disclaimer:

Documents submitted in connection with Gazette Notification for change of religion shall be referred to the concerned issuing authority for verification and confirmation of their genuineness and authenticity.

In other cases, where any document submitted appears to be doubtful or raises any suspicion regarding its genuineness, authenticity, or validity, the same may also be referred to the concerned issuing authority for verification, as deemed appropriate.

Further action in such cases shall be taken only upon receipt of the requisite verification report from the concerned issuing authority by this Department.

राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से धर्म परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को उनकी प्रामाणिकता एवं सत्यता की पुष्टि हेतु संबंधित निर्गम प्राधिकारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

अन्य मामलों में, यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होता है अथवा उसकी प्रामाणिकता, सत्यता या वैधता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसे दस्तावेज को भी, यथोचित समझे जाने पर, संबंधित निर्गम प्राधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जा सकता है।

ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई संबंधित निर्गम प्राधिकारी से अपेक्षित सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में प्राप्त होने के उपरांत ही की जाएगी।

14-10-26

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054